न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 51/2019 **(जी0सी0एम0एस0 नं0 2019/00090)**

उनवानी प्रकरण :–

केदार पुत्र श्री मुरली जाति बघेल निवासी विरजापुरा पुलिस थाना मंनिया जिला धौलपुर ———————————————— .प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ————————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री लक्ष्मीनारायन शर्मा अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम

निर्णय **दिनांक 26.07.2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी केदार पुत्र श्री मुरली जाति बघेल निवासी विरजापुरा पुलिस थाना मंनिया जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 31/75 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 20.12.2016 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 218 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी के विरूद्व थाना हाजा में मु0नं0 260/14 धारा 147,148,323,341,336 भा0द0सं0 चार्जशीट नम्बर 191/29.07.2014 पंजीबद्व है जिसमें फैसला दिनांक 11.01.2016 को न्यायालय एम0जे0एम0–2 द्वारा धारा 147,148,336 में दोषी व धारा 323,341 में वरूये राजीनामा बरी होने का रिकार्ड में इन्द्रांज है एवं मु0नं0 266/16 धारा 147,149,323,341

आईपीसी चार्जशीट नम्बर 209 दिनांक 31.08.2016 दर्ज है जो वर्तमान में जैर तजवीज न्यायालय है अंकित करते हुये प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 31/75 को दिनांक 10.09.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 10.09.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आयुध अधिनियम के प्रावधानों एवं समक्षम अदालतों द्वारा पारित अन्तिम निर्णयों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 14.11.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थी/अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से श्री लक्ष्मीनारायन शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में पत्र कमांक 789 दिनांक 09.12.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 225 दिनांक 27.01.2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी केदार सिंह के विरूद्ध थाना हाजा में मु0नं0 260/14 धारा 147,148,323,341,336 भा0द0सं0 में चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय द्वारा धारा 147,148,336 के आरोप में दोषी माना जाकर परिवीक्षा अधि0 धारा 03 का लाभ देते हुये हिदायत देकर छोडा गया है व धारा 323,341 में वरूये राजीनामा बरी किया गया है। मु0नं0 266/16 धारा 147,149,323,341 आईपीसी चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय द्वारा धारा 323,341 भा0दं0सं0 में बरूये राजीनामा बरी किया गया है व धारा 147,149 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया गया है। शस्त्र को निलम्बन अवधि से दिनांक 11.05.2017 को थाना मंनिया में जमा किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। पत्र कमांक 307 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पुनः रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 316 दि0 24.01.2022 के द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें पूर्व प्रेषित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का अंकन करते हुये प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 31/75 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 218 दिनांक 09.01.2017 में प्रार्थी के विरूद्ध मु0न0 260/14 व मु0नं0 266/16 का हवाला दिया गया है उक्त दोनो प्रकरणा प्रार्थी के विरूद्ध समाप्त हो चुके है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा लाइसेन्सी हाथेयार का किसी भी अपराध में उपयोग नहीं लिया गया है। प्रार्थी का शस्त्र दिनांक 11.05.2017 से पुलिस थाना मंनिया में जमा है। प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 31/75 को वहाल/नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर आपराधिक पृष्ठभूमि होना पाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण एवं अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश दिनांक 10.09.2010 के जरिये प्रार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 10.09.2010 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आयुध अधिनियम के प्रावधानों एवं समक्षम अदालतों द्वारा पारित अन्तिम निर्णयों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें। इस सम्बध में प्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन

के साथ प्रस्तुत असत्य शपथ पत्र संलग्न किया है। प्रार्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज होते हुये भी गलत पेश किया गया क्योंकि शपथ पत्र दिनांक 20.12.2016 को प्रकरण संख्या 266 / 2016 लम्बित था जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर से दिनांक 10.02.2018 को किया गया अर्थात शपथ पत्र दिनांक को यह प्रकरण लम्बित होते हुये भी अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 20.12.2016 में यह तथ्य छिपाया गया जो अत्यंत गंभीर है। प्रार्थी केदार सिंह के विरूद्ध थाना मु0नं0 260 / 14 धारा 147,148,323,341,336 भा0द0सं0 में चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा न्यायालय द्वारा धारा 147,148,336 के आरोप में दोषी माना जाकर परिवीक्षा अधि0 धारा 03 का लाभ देते हुये हिदायत देकर छोडा गया है व धारा 323,341 में वरूये राजीनामा बरी किया गया है। माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2 धौलपुर के निर्णय दिनांक 11.01.2016, प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन पूर्णतया पुष्टि होना पाया गया है तथा अभियुक्तगण समस्त प्रार्थी सहित स्वेच्छापूर्वक अपना जुर्म भी स्वीकार किया गया है जो प्रार्थी के आचरण को दर्शाता है। मु0नं0 266 / 16 धारा 147,149,323,341 आईपीसी चार्जशीट किता कर पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय द्वारा धारा 323,341 भा0दं0सं0 में बरूये राजीनामा बरी किया गया है व धारा 147,149 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार इन प्रकरणों में अपीलार्थी को गुणावगुण पर बरी नहीं किया गया है अपितु राजीनामा के आधार पर बरी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का आपराधिक आचरण होना प्रमाणित पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020 व 24.01.2022 में प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को बहाल / नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9 / 2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** प्रार्थी को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत नोटिस देकर प्रार्थी का पक्ष सुना जा चुका है। अधिनियम की धारा 17 (3) अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञा पत्र को निलम्बन करने और निरस्त करने की व्यापक शक्तियॉ प्रदान करता है। धारा 17(3)(बी) पब्लिक पीस, पब्लिक सैफ्टी के हित में अनुज्ञापत्र को निलम्बन करने एवं निरस्त करने का प्राधिकार देती हैं जहॉ अनुज्ञापन अधिकारी ऐसा करना उचित व आवश्यक समझे। जहॉ तक प्रश्न अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि का है इस हेतु पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि वह लोक शान्ति व सुरक्षा के लिए जिले का उत्तरदायी अधिकारी हैं। आयुध अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में अनुज्ञापन अधिकारी की संतुष्टि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज की गई एफ.आई.आर. / न्यायालयों के निर्णय / पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर समग्र विचारण

के बाद ही हो सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एव अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञापत्र बहाली /नवीनीकरण करने सम्बन्धी खारिज करते हुए प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 31/75 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर